विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार हेतु श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0-5 का उत्तर।

प्रश्न	**उत्तर**
5- (क) क्या उद्यान मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के 08 जनपदों को नीति आयोग द्वारा उद्यान में पिछड़ा घोषित किया गया है?	जी नहीं। प्रदेश के 08 जनपदों को नीति आयोग द्वारा उद्यान में पिछड़ा घोषित नहीं किया गया है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 08 जनपदों यथा फतेहपुर, चंदौली, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच एवं चित्रकूट को महत्तवाकांक्षी जनपदों के रूप में सम्मिलित किया गया है।
(ख) क्या पिछड़े जनपदों में तथागत की धरती का सिद्धार्थनगर जनपद भी सम्मिलित है?	सिद्धार्थनगर को महत्तवाकांक्षी जनपद के रूप में सम्मिलित किया गया है।
(ग) यदि हाँ, तो क्या उद्यान विभाग द्वारा उस जनपद को आगे बढ़ाने के लिए कोई योजना प्रभावी की गयी है?	उद्यान विभाग द्वारा उस जनपद को आगे बढ़ाने के लिए संचालित की जा रही योजनायें निम्नवत् है:- 1.एकीकृत बागवानी विकास मिशन 2.प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना -पर ड्राप मोर क्राप माइक्रोइरीगेशन 3.अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास योजना। 4. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। 5.हर्बल गार्डन योजना।
(घ) यदि हाँ, तो इन पिछड़े जनपदों के विकास हेतु प्रभावी योजनाओं को सदन की मेज पर रखेंगे?	जी हाँ। विवरण संलग्न है।

दिनेश प्रताप सिंह
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
उद्यान विभाग ।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश

08 महत्वाकांक्षी जनपद

जनपद–फतेहपुर, चन्दौली, बहराइच, बलरामपुर एवं श्रावस्ती

योजना	विवरण
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	योजनान्तर्गत फल क्षेत्र विस्तार, शंकर शाकभाजी उत्पादन, पुष्प क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, पुराने बागों का जीर्णोद्धार कार्यक्रम,परियोजना आधारित कार्यक्रम के अन्तर्गत-फसल कटाई उपरान्त प्रबन्धन, मौनपालन, ऑन फार्म हैण्डलिंग (पैक हाउस) एवं मशरूम यूनिट इकाई की स्थापना के कार्यक्रमों में अनुदान की सुविधा देय है जिसका विवरण निम्नवत् है- **(i) फल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत-** **आम नवीन उद्यान रोपण**-प्रति हे0 इकाई लागत रू0 25500/- के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान रोपण समाग्री एवं उर्वरक रू0 12750 को तीन वर्षो तक 60:20:20 (प्रथम वर्ष रू0 7650/- द्वितीय वर्ष रू0 2250/- एवं तृतीय वर्ष रू0 2250/-) के अनुपात पर अनुदान अनुमन्य है। **अमरूद नवीन उद्यान रोपण**-प्रति हे0 इकाई लागत रू0 38340/- के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान रोपण समाग्री एवं उर्वरक रू0 19170 को तीन वर्षो तक 60:20:20 (प्रथम वर्ष रू0 11502/- द्वितीय वर्ष रू0 3834/- एवं तृतीय वर्ष रू0 3834/-) के अनुपात पर अनुदान अनुमन्य है। **केला नवीन उद्यान रोपण**-प्रति हे0 इकाई लागत रू0 102462/- के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान प्रथम वर्ष रू0 30738/- द्वितीय वर्ष रू0 10247/- अनुदान अनुमन्य है। **(ii) संकर शाकभाजी क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत**-संकर शिमला मिर्च, टमाटर, पातगोभी, फूलगोभी एवं कद्दूवर्गीय सब्जी आदि फसलों की खेती पर प्रति हे0 इकाई लागत रू0 50000/- का 40 प्रतिशत रू0 20000/- अनुदान अनुमन्य है। **(iii) मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत**-प्याज, हल्दी, लहसून, मसाला मिर्च, धनिया आदि फसलों की खेती पर प्रति हे0 इकाई लागत रू0 30000/- का 40 प्रतिशत रू0 12000/- अनुदान अनुमन्य है। **(iv) पुष्प क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत**-ग्लैडियोलस पर प्रति हे0 इकाई लागत रू0 150000/- का लघु सीमान्त कृषकों को 40 प्रतिशत व समान्य कृषक को 25 प्रतिशत, रजनीगंधा पर प्रति हे0 इकाई लागत रू0 100000/- का लघु सीमान्त कृषकों को 40 प्रतिशत व समान्य कृषक को 25 प्रतिशत, एवं गेंदा पर प्रति हे0 इकाई लागत रू0 40000/- का लघु सीमान्त कृषकों को 40 प्रतिशत व समान्य कृषक को 25 प्रतिशत, का अनुदान अनुमन्य है।

	(v)परियोजना आधारित कार्यक्रम के अन्तर्गत-फसल कटाई उपरान्त प्रबन्धन के अन्तर्गत प्याज भण्डार गृह इकाई लागत रू0 1.75 लाख का 50 प्रतिशत रू0 0.875 लाख एवं फल/शाकभाजी/पुष्प फसलों हेतु फंक्शनल पैक हाउस के निर्माण पर इकाई लागत 4.0 लाख का 50 प्रतिशत रू0 2.0 लाख का अनुदान अनुमन्य है। **(vi) मौनपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत- मौनपालन इटेलियन बी** (ऐपीस मैलीफेरा) व्यवस्था प्रारम्भ हेतु प्रति इकाई (50 मौनवंश/मौनगृह) मय मौन उपकरण सहित लागत रू0 2.20 लाख का 40 प्रतिशत रू0 88000/- अनुदान अनुमन्य है। **(vii)मशरूम यूनिट के अन्तर्गत**-मशरूम उत्पादन, कम्पोस्ट एवं स्पान मेकिंग यूनिट की स्थापना करायी जाती है। मशरूम कम्पोस्ट यूनिट की लागत रू0 20.0 लाख प्रति इकाई तथा स्पान यूनिट की इकाई लागत रू0 15.0 लाख प्रति इकाई का 40 प्रतिशत क्रमशः रू0 8.0 लाख एवं 6.0 लाख अनुदान प्रति इकाई अनुमन्य है।
जनपद सोनभद्र, सिद्धार्थनगर एवं चित्रकूट	
एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआई.डी.एच.)	योजनान्तर्गत फल क्षेत्र विस्तार, शंकर शाकभाजी उत्पादन, पुष्प क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, पुराने बागों का जीर्णोद्धार कार्यक्रम, परियोजना आधारित कार्यक्रम के अन्तर्गत-फसल कटाई उपरान्त प्रबन्धन, मौनपालन, ऑन फार्म हैण्डलिंग (पैक हाउस) एवं एवं लो कास्ट प्रिर्जवेशन इकाई की स्थापना के मशरूम यूनिट इकाई की स्थापना के कार्यक्रमों में अनुदान की सुविधा देय है, जिसका विवरण निम्नवत् है- (i) फल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत- आम नवीन उद्यान रोपण- प्रति हे0 इकाई लागत रू0 25500/- के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान रोपण समाग्री एवं उर्वरक रू0 12750 को तीन वर्षों तक 60:20:20 (प्रथम वर्ष रू0 7650/- द्वितीय वर्ष रू0 2250/- एवं तृतीय वर्ष रू0 2250/-) के अनुपात पर अनुदान अनुमन्य है। अमरूद नवीन उद्यान रोपण- प्रति हे0 इकाई लागत रू0 38340/- के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान रोपण समाग्री एवं उर्वरक रू0 19170 को तीन वर्षों तक 60:20:20 (प्रथम वर्ष रू0 11502/- द्वितीय वर्ष रू0 3834/- एवं तृतीय वर्ष रू0 3834/-) के अनुपात पर अनुदान अनुमन्य है। केला नवीन उद्यान रोपण- प्रति हे0 इकाई लागत रू0 102462/- के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान प्रथम वर्ष रू0 30738/- द्वितीय वर्ष रू0 10247/- अनुदान अनुमन्य है। (ii) संकर शाकभाजी क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत- संकर शिमला मिर्च, टमाटर, पातगोभी, फूलगोभी एवं कद्दूवर्गीय सब्जी आदि फसलों की खेती पर प्रति हे0 इकाई लागत रू0 50000/- का 40 प्रतिशत रू0 20000/- अनुदान अनुमन्य है। (iii) मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत- प्याज, हल्दी, लहसून, मसाला मिर्च, धनिया आदि फसलों की खेती पर प्रति हे0 इकाई लागत रू0 30000/- का 40 प्रतिशत रू0

	12000/- अनुदान अनुमन्य है। (iv) पुष्प क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत- ग्लैडियोलस पर प्रति हे0 इकाई लागत रू0 150000/- का लघु सीमान्त कृषकों को 40 प्रतिशत व समान्य कृषक को 25 प्रतिशत, रजनीगंधा पर प्रति हे0 इकाई लागत रू0 100000/- का लघु सीमान्त कृषकों को 40 प्रतिशत व समान्य कृषक को 25 प्रतिशत, एवं गेंदा पर प्रति हे0 इकाई लागत रू0 40000/- का लघु सीमान्त कृषकों को 40 प्रतिशत व समान्य कृषक को 25 प्रतिशत, का अनुदान अनुमन्य है। (v)परियोजना आधारित कार्यक्रम के अन्तर्गत-फसल कटाई उपरान्त प्रबन्धन के अन्तर्गत प्याज भण्डार गृह इकाई लागत रू0 1.75 लाख का 50 प्रतिशत रू0 0.875 लाख एवं फल/शाकभाजी/पुष्प फसलों हेतु फंक्शनल पैक हाउस के निर्माण पर इकाई लागत 4.0 लाख का 50 प्रतिशत रू0 2.0 लाख का अनुदान अनुमन्य है। (vi) मौनपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत- मौनपालन इटेलियन बी (ऐपीस मैलीफेरा) व्यवस्था प्रारम्भ हेतु प्रति इकाई (50 मौनवंश/मौनगृह) मय मौन उपकरण सहित लागत रू0 2.20 लाख का 40 प्रतिशत रू0 88000/- अनुदान अनुमन्य है। (vii) बेमौसमी सब्जियों एवं हाईवैल्यू पुष्पों की खेती- संरक्षित ढांचे में करने के लिए जनपद में ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस की स्थापना पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। एक लाभार्थी को 500 वर्ग मी0 से 4000 वर्ग मी0 तक की सुविधा उपलब्ध है। (viii) बागवानी में मशीनीकरण के अन्तर्गत- शक्ति चालित मशीनो एवं उपकरणों यथा- 20 बी0एच0पी0 तक ट्रैक्टर, पावर टिलर, स्प्रेयर आदि पर अनुमन्य लागत के सापेक्ष 25 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक अनुदान देय है। (ix)मशरूम यूनिट के अन्तर्गत- मशरूम उत्पादन, कम्पोस्ट एवं स्पान मेकिंग यूनिट की स्थापना करायी जाती है। मशरूम कम्पोस्ट यूनिट की लागत रू0 20.0 लाख प्रति इकाई तथा स्पान यूनिट की इकाई लागत रू0 15.0 लाख प्रति इकाई का 40 प्रतिशत क्रमशः रू0 8.0 लाख एवं 6.0 लाख अनुदान प्रति इकाई अनुमन्य है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-पर ड्राप मोर क्राप माइक्रोइरीगेशन	योजनान्तर्गत प्रदेश में बागवानी, कृषि एवं गन्ना फसलों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति के अंगीकरण के प्रोत्साहन हेतु पर ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रोइरीगेशन) **योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है।**

योजना	विवरण
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना।	इस योजना अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित उद्यम जैसे फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण, अनाज प्रसंस्करण, कुकरी/बेकरी प्रसस्करण, मशरूम उत्पादन, मटन/पोल्ट्री उत्पादन एवं प्रसंस्करण, ओ0डी0ओ0पी0 इकाई की स्थापना आदि नये उद्यान लगाने एवं इन इकाईयों के उच्चीकरण के लिए विभाग द्वारा 35 प्रतिशत अनुदान बैंक लिंक सब्सिडी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इस योजनान्तर्गत अधिकतम 10.0 लाख तक अनुदान अनुमन्य है। योजना का लाभ एफ0पी0ओ0, एस0एच0जी0 अथवा व्यक्तिगत उद्यमी विभाग के आनलाइन पोर्टल पी0एम0एफ0एम0ई0 पर प्राप्त कर सकते है।
हर्बल गार्डन योजना।	यह योजना जनपद में औषधीय पौधों की खेती करने वाले कृषकों को संचालित करायी जाती है। योजनान्तर्गत सर्पगंधा एवं सतावर की खेती कराकर औषधीय क्षेत्र में बढ़ावा देते हुये उनकी आय में वृद्धि की जाती है। योजनान्तर्गत सर्पगंधा में 50 प्रतिशत एवं सतावर में 20 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।